STA (Hydrogeology)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 415.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जल विज्ञान), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जल विज्ञान), समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जल विज्ञान), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 (इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।";

3. उक्त नियमों की अनुसूची में -

(i) स्तम्भ (4) शीर्ष स्तम्भ और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष स्तम्भ और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44,900 रु)",

(ii) स्तम्भ (10) में, टिप्पण के मद(क) के उप-मद (ii) में शब्दों और अंकों "9300-34800 रु. वेतनमान बैंड 4200 रु. के ग्रेड वेतनमान पर या समतुल्य वेतनमान" के स्थान पर शब्दों, अंकों और कोष्ठकों "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400 रु.)" रखा जाएगा;

(iii) स्तम्भ (12) में, शीर्षक "समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए) में निम्नलिखित होंगे" के अधीन क्रमांक संख्या 3 में, शब्दों और अंकों "ग्रेड वेतनमान 7600 रु" के स्थान पर शब्दों, अंकों और कोष्ठकों "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12(78800 रु.)" रखा जाएगा।

[फा. सं. ए-31012/06/2017-सीजीडब्ल्यूबी]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 31 मार्च, 2012 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 68, तारीख 21 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 16th November, 2017

G.S.R. 415.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Hydrogeology), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Hydrogeology), Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Hydrogeology), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

3. In the Schedule to the said rules,-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix
(4)
Level-7 (Rs. 44,900) in the pay matrix";

(ii) in column (10), in the Note, in item (a), in sub-item (ii), for the words and figures "the Pay Band-2, Rs.9300-34800 with Grade Pay of Rs.4200 or equivalent", the words, figures and brackets "level-6 (Rs.35400) in the pay matrix" shall be substituted;

(iii) in column (12), under the heading "Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of", in serial number 3, for the words and figures " with Grade Pay Rs.7600", the words, figures and brackets "in level-12 (Rs.78800) in the pay matrix" shall be substituted.

[F. No. A-31012/06/2017-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification number G.S.R. 68, dated the 21st March, 2012, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section(i), dated the 31st March, 2012.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 416.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 2015 का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 2015 में,

(क) नियम 6 के उप नियम (1) में "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) नियम 8 में,-

(i) खंड (क) में "वेतन बैंड 3 या वेतन बैंड 4" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 और स्तर 14 के बीच का स्तर" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में,-

(i) "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ग) में "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
100% by direct recruitment	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :— (i) Deputy Director —Chairman (ii) Senior Admn. Officer —Member (iii) Engineer-in-Charge —Member	Not applicable.

[F. No. A-12015/01/2010-Admn.]

SHYAMA KUTTY, Dy. Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2012

सा.का.नि. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के अन्वेषयकारी नलकूप संगठन (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों) की भर्ती नियम, 1968 को, अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो या किये जाने का लोप किया गया है जहां तक कि पद वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जल विज्ञान) से संबंधित है । पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जल विज्ञान), समूह 'ख' पद, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, .

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जल विज्ञान)	28*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतनमान बैंड-2, रु. 9300—34800 और वेतनमान ग्रेड रु. 4600	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) भू-विज्ञान में या भूजल विज्ञान में या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में या समुद्री भू-विज्ञान में या भू-अन्वेषण विज्ञान में या मृदा विज्ञान और संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से तकनीकी (भू-विज्ञान अभियंत्रण) में मास्टर डिग्री । **टिप्पण** : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

(10)
टिप्पण : मूल पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए दूर रहने के कारण उन पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा : (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो मूल काडर/विभाग में 9300—34800 रु. वेतनमान बैंड 4200 रु. के ग्रेड वेतनमान पर या समतुल्य वेतनमान वाले पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष तक नियमित सेवा की है; और (ख) जो सीधी भर्ती किए जाने के लिए अनुसूची के स्तंभ (7) में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं । टिप्पण : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु-सीमा आवेदन पत्र के प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए) में निम्नलिखित होंगे :– 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल बोर्ड —अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूजल बोर्ड —सदस्य 3. एक ग्रुप 'क' और ग्रेड वेतनमान रु. 7600 अधिकारी, केन्द्रीय भूजल बोर्ड —सदस्य	सीधी भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 23/29/2009-के.भू.ज.बो.]

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 21st March, 2012

G.S.R. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Exploratory Tubewells Organisation (Class III and IV Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as related to the post of Senior Technical Assistant (Hydrogeology), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Assistant (Hydrogeology) in the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Hydrogeology), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Technical Assistant (Hydrogeology)	28* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800 plus Grade Pay Rs.4600	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(1) Master's degree in Geology or Hydrogeology or Applied Geology or Marine Geology or Geo-exploration or Earth Science and Resources Management; or (2) Master of Technology (Engineering Geology) from a recognized University or Institution. Note : The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption is to be made
(10)	(11)
Direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department, and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note : Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— 1. Chairman, Central Ground Water Board —Chairman 2. Director (Administration), Central Ground Water Board —Member 3. A Group 'A' Officer of the Central Ground Water Board with Grade Pay Rs. 7600 —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. 23/29/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.